[2021] 9 एस. सी. आर. 55

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

वी.

अभिराम वर्मा

(2020 की सिविल अपील संख्या 1027)

30 सितंबर, 2021

[एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

सेवा कानून-सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961-विनियमन।

15 - सेना के लिए पेंशन विनियम, 2008-प्रत्यर्थी को भारतीय सेना (सशस्त्र चिकित्सा कोर) में एक अल्पकालिक सेवा आयोग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था-वर्ष 1998 में, उन्हें स्थायी कमीशन दिया गया था-पत्र/आवेदन दिनांक 15.04.2000 द्वारा, प्रत्यर्थी ने पदोन्नति की संभावनाओं की कमी के आधार पर इस्तीफे के लिए आवेदन किया-उनकी सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि 31.05.2014 थी-इस्तीफे के लिए आवेदन डीजी, चिकित्सा सेवा (सेना) द्वारा खारिज कर दिया गया-प्रत्यर्थी द्वारा लिखित याचिका

उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई और

सेना को इस्तीफे के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया था

-

अंतिम/पेंशन लाभ लेने के लिए प्रत्यर्थी का दावा "देर से प्रवेश करने वाले" यू/रेगन के रूप में 15 साल की योग्यता सेवा। 15 पेंशन विनियम, 1961-पीड़ित, भारत संघ

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पसंदीदा अपील-चाहे तथ्यों में हो

और मामले की परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी शासन के लाभ का हकदार है। 15 पेंशन विनियम, 1961 के "देर से प्रवेश करने वाले" के रूप में और

तो क्या वे पेंशन लाभों के हकदार हैं? - प्रत्यर्थी की ओर से यह मामला है कि 15.04.2000 पर दिया गया उनका आवेदन "इस्तीफे" के लिए आवेदन नहीं था, बल्कि यह "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए अनुरोध थाः के लिए योग्यता सेवा

"स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" का उद्देश्य न्यूनतम 10 साल की सेवा है यह स्वीकार किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने अपना इस्तीफा देने के समय 15.04.2000 पर 10 साल की सेवा पूरी नहीं की थी और इसलिए

वे "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं थे-इसलिए, वे "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे-अभिकथन

21] 9 एस सी आर।

रिट याचिका में प्रतिवादी द्वारा उपयोग किए गए पूरे शब्द में "त्यागपत्र" है-यह केवल एक विचार के बाद और "देर से प्रवेश करने वाले" यू/रगन का लाभ प्राप्त करने के लिए है। 15 , प्रत्यर्थी का तर्क है कि उसका आवेदन 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' था-इस प्रकार, 15.04.2000 पर

प्रत्यर्थी ने पदोन्नति के अवसरों/पहलुओं की कमी के कारण "इस्तीफा" दिया और यह "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" का मामला नहीं था

तदनुसार, "शासन के संदर्भ में देर से प्रवेश करने वाले" के संबंध में अपनी योग्यता सेवा को 15 वर्ष मानते हुए अंतिम/पेंशन लाभों के लिए प्रत्यर्थी का दावा। 15 पेंशन विनियम, 1961 को रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है।

शब्द और वाक्यांश-"त्याग" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के बीच अंतर-पर चर्चा की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

प्रत्यर्थी 12 पेंशन विनियम, 1961 के विनियम 15 के लाभ का "देर से प्रवेश करने वाले" के रूप में हकदार है और इसलिए इसका हकदार है - पेंशन लाभ? इस न्यायालय के विचार के लिए जो आनुषंगिक प्रश्न पूछा जाता है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा 15.04.2000 पर दिए गए इस्तीफे को "इस्तीफा" या "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" कहा जा सकता है। [पैरा 5] [66-ए-सी]

1.1 मामले को विनियमन 15 के भीतर लाना और प्राप्त करना

"इस्तीफे" के लिए, लेकिन यह "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए एक अनुरोध था। प्रत्यर्थी की ओर से निवेदन कि क्या था 15.04.2000 पर दिया गया आवेदन "इस्तीफे" के लिए आवेदन नहीं था, लेकिन यह "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए एक आवेदन था जिसमें कोई सार नहीं है और इसे निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता हैः (i)

कि "स्वैच्छिक" के उद्देश्य के लिए योग्यता सेवा

सेवानिवृत्ति न्यूनतम 10 साल की सेवा है। 15.04.2000 पर, प्रत्यर्थी ने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की और इसलिए "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं था और

इसलिए 15.04.2000 पर भी वह "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए आवेदन नहीं कर सकता था; ii) दिनांकित 15.04.2000 आवेदन में, दिखाया गया कारण प्रचार पहलुओं की कमी थी।

यहां तक कि भारत का उच्च संघ और एक और v. अभिराम वर्मा

जम्मू और कश्मीर की अदालत ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 11.10.2006 में, जो प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया था, विशेष रूप से प्रत्यर्थी की ओर से इस निवेदन पर ध्यान दिया कि "याचिकाकर्ता के बाद के चरण में आयोग में शामिल होने के कारण पहले चयन, यानी सेना चिकित्सा कोर में कर्नल के पद पर पदोन्नति की कोई संभावना नहीं है। याचिकाकर्ता ने 15 अप्रैल, 2000 को प्रत्यर्थियों के समक्ष पदोन्नति की अनुपलब्धता के आधार पर सेना से "इस्तीफे" की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। तकनीकी कौशल प्राप्त करने की संभावनाएँ और अयोग्यता "। यहां तक कि

उच्च न्यायालय ने अपने 11.10.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश में प्रतिवादी द्वारा दिनांकित 15.04.2000 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को "इस्तीफे" के लिए आवेदन के रूप में माना और उस आधार पर आगे बढ़ा। यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर बाद की याचिका एस. डब्ल्यू. पी. 454/2008 होने के कारण, प्रतिवादी ने कभी यह तर्क नहीं दिया कि यह "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए एक आवेदन था। यदि रिट याचिका में बयानों को प्रतिवादी द्वारा उपयोग किए गए पूरे शब्द में देखा जाता है तो "त्यागपत्र" है। इसलिए, केवल एक विचार के बाद और विनियमन 15 के तहत "देर से प्रवेश करने वाले" का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब प्रतिवादी की ओर से यह मामला है कि उस समय उसका जो मतलब था वह "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए प्रार्थना करना था और यह "इस्तीफे" के लिए आवेदन नहीं था; iii) एएमसी की समयपूर्व सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के लिए लागू नियमों के अनुसार भी।

आई. डी. 3 दिनांकित अधिकारी, कैरियर की संभावनाओं की कमी के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्ति/इस्तीफे की मांग करने के लिए एक अधिकारी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और भले ही अधिकारियों को इस्तीफा देने की अनुमति दी जाए, वे अंतिम/पेंशन लाभ के हकदार नहीं हैं; और (iv) प्रतिवादी की ओर से दायर आई. डी. 2 दिनांकित लिखित प्रस्तुतियों में भी, यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि आई. डी. 1 पर वह "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए पात्र नहीं था और इसलिए उसने "इस्तीफा" शब्द का उपयोग करने के लिए किया था।

तकनीकी कारणों से। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि 15.04.2000 पर उन्होंने मानदंडों को पूरा नहीं किया

" स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति "उस दिन उन्होंने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की थी। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों से, एकमात्र निष्कर्ष यह होगा कि 15.04.2000 पर प्रत्यर्थी ने प्रचार के रास्ते/पहलुओं की कमी के कारण "इस्तीफा" दिया और यह था

"स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" का मामला नहीं है। [पैरा 6] [67-डी-एच; 68-ए-जी] [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. विनियमन 15 के अनुसार, एक "देर से प्रवेश करने वाला" एक अधिकारी होता है जो

कम से कम 15 साल की कमीशन सेवा (वास्तविक) के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो जाता है। चूंकि प्रतिवादी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त नहीं हुआ था, इसलिए प्रतिवादी को "देर से प्रवेश करने वाला" नहीं कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य और उद्देश्य सेवानिवृत्ति पेंशन अर्जित करने के लिए योग्यता सेवा के लिए 5 साल की छूट/अनुग्रह देना प्रतीत होता है। विनियमन 25 (ए) के अनुसार, सेवानिवृत्ति पेंशन अर्जित करने के लिए वास्तव में प्रदान की गई और आवश्यक योग्यता सेवा की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष होगी। हालाँकि, यदि कोई अधिकारी योग्यता सेवा की न्यूनतम अवधि, यानी 20 वर्ष और 20 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले पूरी करने में सक्षम नहीं है, तो वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर रहा है और सेवा प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाता है।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु सीमा, लेकिन योग्यता सेवा के 15 साल पूरे करने के बाद, उसे "देर से प्रवेश करने वाला" माना जाता है और वह 5 साल की छूट प्राप्त करके पेंशन लाभ का हकदार है।

अवधि। इसलिए, उस हद तक इसे पेंशन योग्य लाभों का लाभ प्राप्त करने के लिए 5 साल की छूट/अनुग्रह कहा जा सकता है बशर्ते कि मामला विनियमन 15 के अंतर्गत आता है और एक अधिकारी "देर से प्रवेश करने वाला" हो। जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थी को "देर से प्रवेश करने वाला" नहीं कहा जा सकता है और इसलिए वह विनियमन 15 के लाभ का हकदार नहीं है और इसलिए वह इसके लिए हकदार नहीं है।

पेंशन लाभ। [पैरा 11] [71-सी-जी] 4. विद्वान सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा टी. ए. सं. <आई. डी. 2 में दिनांकित 9.2.2018 द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश।

दिनांकित 31.01.2007 के पत्र के पैरा 2 को रद्द करना और अलग करना

जिस हद तक इसने प्रत्यर्थी को अंतिम/पेंशन लाभों से इनकार कर दिया और अपीलकर्ताओं को अंतिम/पेंशन लाभों के लिए प्रत्यर्थी के दावे को संसाधित करने का निर्देश दिया पेंशन विनियमों के विनियम 15 के संदर्भ में "देर से प्रवेश करने वाले" के संबंध में 15 साल की योग्यता सेवा को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है और यह माना जाता है कि प्रतिवादी पेंशन विनियमों के विनियम 15 के संदर्भ में "देर से प्रवेश करने वाले" के रूप में अंतिम/पेंशन लाभों का हकदार नहीं है। [पैरा 12] [71-जी-एच; 72 ए-बी]

वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, एल. आई. सी. बनाम. श्री लाल मीणा (2019) 4 एससीसी 479: [2019] 5 एस. सी. आर. 391-निर्भर।

भारत संघ और एक अन्य v. अभिराम वर्मा

भारत संघ बनाम। लेफ्टिनेंट कर्नल पी. एस. भार्गव (1997) 2 एससीसी

28 : [1997] 1 एससीआर 130; डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ

(1983) 1 एससीसी 305: [1983] 2 एस. सी. आर. 165; के. जे. एस. बुट्टर बनाम

भारत संघ, (2011) 11 एस. सी. सी. 429: [2011] 4 एससीआर

136 – अप्रयोज्य रखा गया।

बी. एस. ई. एस यमुना पावर लिमिटेड बनाम घनश्याम चंद

शर्मा (2020) 3 एससीसी 346 [2019] 14 एससीआर 546 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 14 एससीआर 546

संदर्भित किया गया है

पैरा

3.8

[1983] 2 एससीआर 165

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

4.4

अप्रयोज्य रखा गया

[2011] 4 एससीआर 136

पैरा

4.4

[1997] 1 एससीआर 130

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

4.5

[2019] 5 एससीआर 391

उस पर भरोसा करें

पैरा

8

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.1027

2020 .

के टी. ए. No.25 में दिनांकित 09.02.2018 निर्णय और आदेश से

2017 और जम्मू में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, श्रीनगर के 2018 के एम. ए. <आई. डी. 2 में दिनांकित 25.03.2019 आदेश।

सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, राजन के. चौरसिया, आयुष पुरी, सुश्री.

आकांक्षा कौल, सुश्री प्रीति रानी, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , इंद्र सेन सिंह, सुश्री कीर्तिका सिंह, सर्वेश

सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और जम्मू में लर्नड आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, रीजनल बेंच, श्रीनगर (जिसे इसके बाद 'ट्रिब्यूनल' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा टी. ए. नंबर (2008 का एस. डब्ल्यू. पी. नंबर 454) में पारित आदेश, जिसके द्वारा लर्नड ट्रिब्यूनल ने दिनांकित पत्र के पैरा 2 को इस हद तक दरकिनार करके उक्त स्थानांतरण आवेदन का निपटारा कर दिया है कि उसने प्रतिवादी को अंतिम/पेंशन संबंधी लाभों से इनकार कर दिया है- मूल आवेदक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

21] 9 एस सी आर।

(इसके बाद 'प्रतिवादी' के रूप में संदर्भित) और अपीलकर्ताओं को मूल उत्तरदाताओं को अंतिम/पेंशनभोगी के लिए अपने दावे को संसाधित करने का निर्देश दिया पेंशन विनियमों के विनियम 15 के संदर्भ में "देर से प्रवेश करने वाले" के संबंध में उनकी योग्यता सेवा को 15 वर्ष के रूप में लेते हुए और बकाया के साथ इसे जारी करने के लिए, विभाग-भारत संघ और अन्य ने वर्तमान वैधानिक अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

कि यहाँ प्रत्यर्थी को भारतीय सेना (सशस्त्र चिकित्सा कोर) में एक अल्पकालिक सेवा आयोग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है

27.03.1992 33 वर्ष और 10 महीने की आयु में पाँच वर्ष की अवधि के लिए। उन्होंने स्वेच्छा से 7.8.1997 पर स्थायी कमीशन के लिए आवेदन किया। उन्हें 39 वर्ष और 2 महीने की आयु में 28.01.1998 पर स्थायी कमीशन दिया गया था। उत्तरदाता 1.6.1994 पर एक श्रेणीबद्ध विशेषज्ञ बन गया और उसके बाद वह 1.6.1999 पर एक वर्गीकृत विशेषज्ञ बन गया। दिनांक 15.04.2000 के पत्र/आवेदन द्वारा, प्रत्यर्थी ने पदोन्नति की संभावनाओं की कमी के आधार पर इस्तीफे के लिए आवेदन किया। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 56 वर्ष की आयु में उनकी सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि 31.05.2014 थी। इस्तीफे के लिए आवेदन को डी. जी., चिकित्सा सेवा (सेना) द्वारा दिनांक 4.9.2000 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। कि इसके बाद प्रतिवादी ने एक वैधानिक शिकायत दर्ज की 24.03.2001 उनके इस्तीफे की अस्वीकृति के खिलाफ, इसे अवर सचिव, भारत सरकार द्वारा 14.03.2002 पर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद प्रत्यर्थी ने भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा अपनी शिकायत की अस्वीकृति के खिलाफ जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में एस. डब्ल्यू. पी. संख्या 1573/2001 के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2006 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई, जिसमें अवर सचिव के आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसने प्रतिवादी के इस्तीफे को खारिज कर दिया और सेना को इस्तीफे के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। इसके बाद प्रत्यर्थी का इस्तीफा दिनांक 31.01.2007 के आदेश/संचार के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया, हालांकि, यह कहा गया था कि वह छुट्टी को भुनाने के अलावा किसी भी अंतिम लाभ का हकदार नहीं था (अंतिम लाभों से इनकार करना सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष विषय था)। प्रत्यर्थी का नाम सेना के मेडिकल कोर से हटा दिया गया था।

दिनांक 22.04.2007,23.04.2007 से प्रभावी।

2.1 कि इसके बाद प्रत्यर्थी ने जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को एस. डब्ल्यू. पी. संख्या 454/2008 के लिए प्राथमिकता दी।

उपदान और पेंशन का अनुदान, जो बाद में भारत संघ और अन्य संघ को हस्तांतरित किया गया।

अभिराम वर्मा [एम. आर. शाह, जे.]

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को टी. ए. सं. 25/2017 के रूप में। कि विवादित निर्णय और दिनांक 9.2.2018 के आदेश द्वारा, विद्वत न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों को प्रक्रिया करने का निर्देश देते हुए उक्त स्थानांतरण आवेदन का निपटारा कर दिया है

पेंशन विनियमों के विनियमन 15 के तहत "देर से प्रवेश करने वाले" के रूप में 15 साल की योग्यता सेवा लेने वाले अंतिम/पेंशन लाभों के लिए प्रतिवादी का दावा। अपील करने की उस अनुमति को भी विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 25.03.2019 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

2.2 विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थियों को प्रक्रिया करने का निर्देश देने वाले विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

पेंशन विनियमन के विनियमन 15 के तहत "देर से प्रवेश करने वाले" के रूप में 15 साल की योग्यता सेवा लेने वाले अंतिम/पेंशन लाभों के लिए प्रतिवादी के दावे, भारत संघ और अन्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। 3. अपीलार्थियों की ओर से भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान पेश हुईं और प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह पेश हुए।

3.1 सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों को अंतिम/पेंशन लाभों के लिए प्रतिवादी के दावे पर विचार करने का निर्देश देने में भौतिक रूप से गलती की है, जो पेंशन विनियमों के विनियमन 15 के तहत "देर से प्रवेश करने वाले" के रूप में 15 साल की योग्यता सेवा के रूप में लेते हैं।

3.2 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह विद्वान न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से कहा है कि प्रतिवादी ने अनुरोध प्रस्तुत किया है

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि यह "सेवा से स्वैच्छिक इस्तीफे" का मामला था, इसलिए प्रतिवादी का अधिकार नहीं होगा पेंशन विनियमों के विनियम 15 के तहत "देर से प्रवेश करने वाले" के रूप में लाभ।

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा प्रासंगिक समय पर भी प्रतिवादी ने इस उद्देश्य के लिए योग्यता सेवा पूरी नहीं की

" स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति "। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार जिस तारीख को प्रत्यर्थी ने 15.04.2000 पर इस्तीफे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, वह समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए भी पात्र नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह "स्वैच्छिक इस्तीफे" का मामला था न कि "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" का।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब प्रत्यर्थी ने 15.04.2000 पर अपना इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने केवल 15 साल और 27 दिनों के लिए सेवा प्रदान की थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया था और सेवानिवृत्ति की आयु में सेवानिवृत्त नहीं हुआ था, (अर्थात, लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए 56 वर्ष) 31.05.2014 पर, उन्होंने 22 वर्ष 2 महीने और 2 दिन की सेवा प्रदान की होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जब प्रतिवादी ने इस्तीफा दिया, तो उसने विनियमन 25 (ए), यानी 20 वर्ष के अनुसार न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी नहीं की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए प्रतिवादी ने "देर से प्रवेश करने वाले" के रूप में विनियमन 15 का आश्रय लिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा विनियमन 25 (ए) के तहत 20 वर्ष है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह केवल आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में है

सेवानिवृत्ति जहां निर्धारित आयु सीमा के कारण अधिकारी के लिए 20 वर्ष पूरे करना असंभव है, ऐसे "देर से प्रवेश करने वालों" को 5 वर्ष की रियायत दी जाती है जो न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी सेवानिवृत्त व्यक्ति अर्जित कर सकते हैं।

3.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह "स्वैच्छिक इस्तीफे" का मामला था न कि "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति" का मामला। प्रत्यर्थी को "देर से प्रवेश करने वाला" नहीं कहा जा सकता है और इसलिए वह पेंशन विनियमों के विनियम 15 के तहत लाभ का हकदार नहीं होगा।

3.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में विद्वान सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने "स्वैच्छिक इस्तीफे" के वर्तमान मामले को "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के रूप में मानने में गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "स्वैच्छिक त्याग" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के बीच एक बड़ा अंतर है। बी. एस. ई. एस. यमुना पावर लिमिटेड बनाम के मामले में रिलायंस को इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। घनश्याम चंद शर्मा।

(2020) 3 एस. सी. सी. 346 (पैराग्राफ 13 और 14) में रिपोर्ट किया गया। 3.9 अपीलार्थियों की ओर से पेश हुई सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि यह मानते हुए कि प्रतिवादी ने कुछ समय के लिए "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए आवेदन किया है, उस मामले में भी, भारत संघ और अन्य बनाम।

अभिराम वर्मा [एम. आर. शाह, जे.]

15.04.2000 पर भी उन्होंने समय से पहले सेवानिवृत्ति के उद्देश्य से योग्यता सेवा पूरी नहीं की थी।

3.10 अब जहाँ तक प्रतिवादी की ओर से मामला है, इस प्रकार विनियमन 19 (एच) पर रखी गई निर्भरता पर जवाबी हलफनामे में कहा गया है और

19 (जे) सेना के पेंशन विनियम, 2008 के तहत यह तर्क दिया गया है कि केंद्रीय स्वायत्त निकाय में सेवा की अवधि के साथ-साथ स्नातकोत्तर योग्यता रखने के संबंध में एक अधिकारी को दी गई कमीशन की पूर्व तिथि की अवधि भी गणना योग्य होगी।

पेंशन योग्य सेवा का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त विनियम, 2008 लागू नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी ने वर्ष 2000 में इस्तीफा दे दिया था और यहां तक कि उसका नाम भी वर्ष 2007 में सेना चिकित्सा कोर से हटा दिया गया था और इसलिए पेंशन विनियम 1961 लागू होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की याचिका इस न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर करने से पहले नहीं ली गई थी और उचित रूप से नहीं ली गई थी क्योंकि पेंशन विनियम 2008 लागू नहीं होंगे।

3.11 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी विचार करते हुए

कैरियर/पदोन्नति की संभावनाओं की कमी का आधार समय से पहले सेवानिवृत्ति/इस्तीफे की स्वीकृति का कारण नहीं हो सकता है और जिन अधिकारियों को इस्तीफा देने की अनुमति है, वे अंतिम लाभों के हकदार नहीं हैं, हालांकि, वे संचित वार्षिक अवकाश के भुनाने का लाभ उठाने के पात्र हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए न केवल प्रतिवादी पेंशन विनियमन 15 का लाभ लेने के लिए अयोग्य था, बल्कि यह भी था

उपरोक्त विनियमों/नियमों के अनुसार किसी भी अंतिम लाभ के लिए अयोग्य।

3.12 सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियाँ भी कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निर्णय लेने में प्राधिकरण को सात साल लगे, तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने 15.04.2000 पर इस्तीफा दिया और इसे DG, चिकित्सा सेवा (सेना) द्वारा 4.9.2000 पर खारिज कर दिया गया और यहां तक कि प्रत्यर्थी ने 24.03.2001 पर इस्तीफे की अस्वीकृति के खिलाफ एक वैधानिक शिकायत दर्ज की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, प्राधिकरण की ओर से इस्तीफे के आवेदन पर निर्णय लेने में कोई देरी नहीं हुई।

3.13 . उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

4. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने वर्तमान अपील का विरोध किया है।

4.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जैसा कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा सही देखा गया है, प्रतिवादी विनियमन 15 के तहत "देर से प्रवेश करने वाले" के रूप में लाभ के साथ-साथ पेंशन विनियम, 2008 के विनियमन 19 (एच) के लाभ का हकदार होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, पेंशन विनियम, 2008 का विनियम 19 पेंशन विनियम, 1961 के समान है।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पेंशन विनियम, 2008 के अनुसार, अनुसंधान विद्वान के रूप में प्रत्यर्थी की पूर्व-कमीशन सेवा

गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल (एक सरकारी कॉलेज) और बी. एच. ई. एल. के साथ एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में, कुल 6 वर्ष 4 महीने और 6 दिनों को भी उनकी कुल योग्यता पेंशन योग्य सेवा के लिए गिना जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार प्रत्यर्थी की कुल अर्हता प्राप्त पेंशन योग्य सेवा आती है 22 वर्ष 11 महीने और 2 दिन (15 वर्ष 27 दिन सेना सेवा + 6 वर्ष 4 महीने और 6 दिन पूर्व-आयोग सेवा + डेढ़ वर्ष पूर्व-तिथि वरिष्ठता)।

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी विद्वत न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी के मामले को विशिष्ट तथ्यों में "देर से प्रवेश करने वाले" के रूप में माना

और विवादित निर्णय के पैरा 4 में उल्लिखित परिस्थितियाँ जो नीचे पढ़ा गया है:

i) जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया गया है, प्रत्यर्थी को संगठनात्मक हित में 39 वर्ष 2 महीने की उम्र में पी. सी. प्रदान किया गया था, ताकि उस समय सेना में चिकित्सा-विशेषज्ञ की तीव्र कमी को पूरा किया जा सके, जिससे अधिकतम आयु सीमा में ढील दी जा सके।

इन-हाउस विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रगति और अवसर की कमी, जिसने प्रत्यर्थी को सेना से पूर्व-परिपक्व रिहाई की मांग करने के लिए प्रेरित किया ताकि उस कम उम्र में अपना करियर कहीं और स्थापित किया जा सके। iii) प्रत्यर्थी की आयु 42 वर्ष थी जब उसने 15.04.2000 पर पूर्व-परिपक्व अलगाव के लिए आवेदन किया था, जिसे शुरू में अपीलकर्ताओं द्वारा इस झूठे आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सेना में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी थी; और

(iv) अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी के अनुरोध को स्वीकार करने में अत्यधिक देरी की जो केवल भारत के जम्मू-कश्मीर उच्च संघ और एक अन्य की दयालुता के साथ हुई।

अभिराम वर्मा [एम. आर. शाह, जे.]

अदालत और तदनुसार जब तक प्रत्यर्थी को सेना से रिहा किया गया, तब तक वह 49 वर्ष की आयु को पार कर चुका था जो अपनी प्रैक्टिस स्थापित करने या नया करियर शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी।

4.4 श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार, पेंशन विनियम, 2008 लागू होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा डी. एस. नकारा बनाम के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है। भारत संघ (1983) 1 एस. सी. सी. 305 और के. जे. एस. बुट्टर बनाम। भारत संघ, (2011) 11 एस. सी. सी. 429 नए पेंशन नियमों के तहत लाभ देने के उद्देश्य से, सेवानिवृत्ति की तारीख अप्रासंगिक है, हालांकि संशोधित योजना नए पेंशन नियमों में उल्लिखित तारीख से लागू होगी, लेकिन यह उन पेंशनभोगियों के लिए भी लागू होगी जो निर्दिष्ट तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।

4.5 भारत संघ बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल पी. एस. भार्गव, (1997) 2 एस. सी. सी. 28 (पैरा 7,18 से 20), यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सेना के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया गया है, "इस्तीफे" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के बीच कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों मामलों में सरकार की पूर्व अनुमति होगी -

सेना के एक कर्मी को सेवा छोड़ने की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि सेना मुख्यालय द्वारा जारी नीतिगत पत्र, जिससे सेवा से इस्तीफा देने वाले व्यक्तियों को पेंशन और अन्य अंतिम लाभों से इनकार किया जाता है, को पेंशन विनियमों के विपरीत होने के कारण प्रभावी नहीं किया जा सकता है, जिसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी प्रत्यर्थी ने 15.04.2000 पर एक मुद्रित प्रपत्र पर अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

जिन अपीलार्थियों के पास "त्यागपत्र" और "समयपूर्व सेवानिवृत्ति" के दोनों विकल्प मुद्रित हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार प्रत्यर्थी का वास्तविक इरादा समय से पहले सेवानिवृत्ति लेना था, लेकिन उसे बताया गया कि क्योंकि उस समय उनके पास 10 साल से भी कम की सेवा थी,

सेना मुख्यालय नीति दिनांक 26.03.1998 के पैरा 7 और 13, समय से पहले 10 साल की सेवा से पहले रिहाई को "इस्तीफा" कहा जाना चाहिए न कि "समयपूर्व सेवानिवृत्ति"। यह प्रस्तुत किया जाता है इसलिए उनके आवेदन को "इस्तीफे" के रूप में माना गया था और उपरोक्त तकनीकी कारण से "समयपूर्व सेवानिवृत्ति" के रूप में नहीं माना गया था, भले ही प्रतिवादी का इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है और इस तरह से अपने सेवा लाभ, यदि कोई हो, खो देते हैं।

4.7 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. हमने संबंधित के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है

यह लंबाई में है। इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न यह है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिवादी है

न्यायालय के विचार के लिए जो आनुषंगिक प्रश्न पूछा जाता है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा 2000 में दिए गए इस्तीफे को "त्यागपत्र" या "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" कहा जा सकता है।5.1 उपरोक्त मुद्दों पर विचार करते समय, इसकी कीमत पर भी, कुछ तिथियों और घटनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, जो

एस के तहतः

i) प्रतिवादी ने इस्तीफे के लिए आवेदन किया (अब प्रतिवादी के अनुसार यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध था)

ii) इस्तीफे के लिए आवेदन डीजी, चिकित्सा सेवा (सेना) द्वारा 4.9.2000 पर खारिज कर दिया गया। iii) प्रत्यर्थी ने अस्वीकृति के खिलाफ एक वैधानिक शिकायत दर्ज की।

24.03.2001 पर उनके इस्तीफे का;

(iv) प्रत्यर्थी की वैधानिक शिकायत को खारिज कर दिया गया

अवर सचिव, भारत सरकार 14.03.2002 पर; v) जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के निर्णय और आदेश द्वारा अवर सचिव के आदेश को रद्द कर दिया, जिन्होंने प्रतिवादी के इस्तीफे को खारिज कर दिया और परिणामस्वरूप विभाग को इस्तीफे के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया;

vi) प्रत्यर्थी का इस्तीफा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दिनांक 31.01.2007 के संचार/पत्र के माध्यम से स्वीकार किया गया, हालांकि, यह कहा गया था कि प्रत्यर्थी छुट्टी के भुनाने के अलावा किसी भी अंतिम लाभ का हकदार नहीं है;

10 साल की सेवा थी, अन्यथा उसके आवेदन को रद्द करना होगा।

"त्यागपत्र" के रूप में; भारत का एन. आई. ओ. एन. और ए. एन. डी. एच. आर. वी. अभिराम वर्मा [एम. आर. शाह, जे.]

ix) मान लीजिए कि प्रत्यर्थी ने दस साल पूरे नहीं किए

15.04.2000 पर सेवा जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और

सेवानिवृत्ति "; x) जब प्रत्यर्थी ने 15.04.2000 पर इस्तीफे के लिए आवेदन दिया, तो प्रत्यर्थी ने 15 वर्ष और 27 वर्ष के लिए सेवा प्रदान की

केवल दिन; और

xi) सेवानिवृत्ति पेंशन अर्जित करने के लिए वास्तव में प्रदान की गई योग्यता सेवा की न्यूनतम अवधि विनियमन 25 (ए) के अनुसार 20 वर्ष होगी, हालांकि, यदि कोई अधिकारी "देर से प्रवेश करने वाला" है, जिसने कम से कम 15 वर्षों के लिए सेवा प्रदान की है और जो सेवा प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया है। कम से कम 15 के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा

विनियमन 15 के अनुसार वर्ष की कमीशन सेवा (वास्तविक)।

"त्यागपत्र" के लिए अनुलेखन लेकिन यह "स्वैच्छिक" के लिए एक आवेदन था जिसमें कोई सार नहीं है और निम्नलिखित के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।एनएसः

i) कि "स्वैच्छिक" के उद्देश्य के लिए योग्यता सेवा

सेवानिवृत्ति न्यूनतम 10 साल की सेवा है। 15.04.2000 पर,

इसलिए 15.04.2000 पर भी वह "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए आवेदन नहीं कर सकता था। ii) दिनांकित 15.04.2000 आवेदन में, दिखाया गया कारण प्रचार पहलुओं की कमी थी। यहां तक कि जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय भी

अपने निर्णय और आदेश दिनांक 11.10.2006 में जो द्वारा दायर किया गया था

प्रत्यर्थी ने विशेष रूप से प्रस्तुतिकरण का उल्लेख किया

प्रत्यर्थी ने कहा कि "याचिकाकर्ता आयोग में शामिल हो गया है

बाद के चरण में पहले चयन के लिए पदोन्नति की कोई संभावना नहीं है, अर्थात,

सेना चिकित्सा कोर में कर्नल के पद तक। याचिकाकर्ता

उत्तरदाताओं के समक्ष 15 अप्रैल, 2000 को एक आवेदन दायर किया गया '

गैर के आधार पर सेना से "इस्तीफा" मांगना पदोन्नति की संभावनाओं की उपलब्धता और [2021] 9 एस. सी. आर. प्राप्त करने की अयोग्यता।

" इस्तीफा दे दिया "और उस आधार पर आगे बढ़े। यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई बाद की याचिका एस. डब्ल्यू. पी. 454/2008 है, प्रतिवादी ने कभी यह तर्क नहीं दिया कि यह एक आवेदन था

" स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति "। यदि हम रिट याचिका में बयानों को देखते हैं तो प्रतिवादी द्वारा उपयोग किए गए पूरे शब्द को "त्यागपत्र" कहा जाता है। इसलिए, केवल एक विचार के बाद और विनियमन 15 के तहत "देर से प्रवेश करने वाले" का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब प्रतिवादी की ओर से यह मामला है कि उस समय उसका जो मतलब था वह "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए प्रार्थना कर रहा था और यह उसके लिए एक आवेदन नहीं था।

“ त्यागपत्र ";

iii) ए. एम. सी. अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के लिए लागू नियमों के अनुसार भी दिनांक 26.3.1998, एक अनुरोध

कैरियर की संभावनाओं की कमी के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्ति/इस्तीफे की मांग करने वाले अधिकारी को स्वीकार नहीं किया जाएगा और भले ही अधिकारियों को इस्तीफा देने की अनुमति दी जाए, वे अंतरण के हकदार नहीं हैं।

पेंशन लाभ; और

प्रत्यर्थी की ओर से दायर, यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि 15.04.2000 पर वह "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के लिए पात्र नहीं था और इसलिए उसने प्राप्त करने के लिए "इस्तीफा" शब्द का उपयोग किया तकनीकी कारणों से। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि 15.04.2000 पर उन्होंने मानदंडों को पूरा नहीं किया

" स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति "उस दिन उन्होंने 10 को पूरा नहीं किया था

सेवा के वर्ष।

इसलिए, उपरोक्त तथ्यों से, एकमात्र निष्कर्ष यह होगा कि 15.04.2000 पर प्रतिवादी ने इसके अभाव में "इस्तीफा" दे दिया।

पदोन्नति के रास्ते/पहलू और यह "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" का मामला नहीं था। 7. यहां तक कि "त्यागपत्र" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के बीच भी अंतर है। एक व्यक्ति अपनी सेवा के दौरान किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है, हालांकि, एक अधिकारी समय से पहले/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नहीं कह सकता है जब तक कि वह पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

8. इस न्यायालय के पास भारत के वरिष्ठ प्रभागीय एन. आई. ओ. एन. और ए. एन. ए. एन. वी. के मामले में "त्यागपत्र" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के बीच के अंतर पर विचार करने का अवसर था।

अभिराम वर्मा [एम. आर. शाह, जे.]अगर, एल. आई. सी. बनाम। श्री लाल मीणा, जिसकी रिपोर्ट (2019) 4 एस. सी. सी. 479, एच. में दी गई है, का बाद में इस न्यायालय ने बी. एस. ई. एस. ना पावर लिमिटेड (ऊपर) के मामले में पालन किया है। पैराग्राफ 22 में इसका पालन और आयोजन किया गया है।

देरः

" 22. आर. बी. आई. बनाम में इस न्यायालय के फैसले में हमारे सामने विवाद के संदर्भ में सिद्धांत अच्छी तरह से स्पष्ट किए गए हैं। सेसिल डेनिस सोलोमन [आरबीआइ बनाम। सेसिल डेनिस सोलोमन, (2004) 9 एससीसी 461: 2004 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 737]। एक समान तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर,

कर्मचारियों ने 1988 में किसी समय इस्तीफा दे दिया था। आरबीआइ पेंशन

नियम 1990 में लागू हुए। जिन कर्मचारियों ने पहले इस्तीफा दिया था, उन्होंने इन पेंशन विनियमों को लागू करने की मांग की थी स्वयं के लिए। इन प्रावधानों में, एक बार फिर, इस्तीफे या बर्खास्तगी या समाप्ति पर सेवा को जब्त करने का एक समान खंड था। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैंः (एससीसी पीपी। 467-68 , पैरा

10)

" 10. सेवा न्यायशास्त्र में, अभिव्यक्तियाँ "सुपर"

"वार्षिकी", "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति", "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" और "त्यागपत्र" अलग-अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और इस्तीफे में स्वैच्छिक कार्य शामिल हैं।

कर्मचारी का सेवा छोड़ने के लिए। हालाँकि दोनों में स्वैच्छिक कार्य शामिल हैं, लेकिन वे अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। बुनियादी अंतरों में से एक है

कि इस्तीफे के मामले में इसे किसी भी समय दिया जा सकता है, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, इसकी मांग केवल इसके बाद की जा सकती है

योग्यता सेवा की निर्धारित अवधि प्रदान करना। अन्य

मौलिक अंतर यह है कि पूर्व के मामले में, सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति लाभों से इनकार किया जाता है लेकिन बाद वाले के मामले में, उसी से इनकार नहीं किया जाता है। पूर्व के मामले में, अनुमति या नोटिस अनिवार्य नहीं है, जबकि उत्तरार्द्ध के मामले में, संबंधित नियोक्ता की अनुमति एक आवश्यक शर्त है। हालांकि इस्तीफ़ा एक है

द्वैपाक्षिक अवधारणा, और द्वारा स्वीकृति पर प्रभावी हो जाता है सक्षम प्राधिकारी, फिर भी सामान्य नियम को विस्थापित किया जा सकता है

इसके विपरीत स्पष्ट प्रावधानों द्वारा "।

8.1 श्री लाल के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून

ए (उपरोक्त) को इस न्यायालय द्वारा बाद में दोहराया गया है।

बी. एस. ई. एस. यमुना पावर लिमिटेड (ऊपर) के मामले में और समान निर्णय में, इस न्यायालय ने की गई टिप्पणियों पर भी विचार किया।श्री लाल मीणा (ऊपर) में अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि जहां पेंशन योजनाएं प्रत्यायोजित रूप में लाभकारी कानून हैं, वहीं एक लाभकारी निर्माण सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट।

प्रावधानों की स्पष्ट शर्तों के विपरीत नहीं चल सकता है। यह आगे देखा गया है कि इस मुद्दे को दान के सिद्धांत पर नहीं निपटाया जा सकता है। कब

विधायिका, अपने विवेक से, एक विशेष तिथि से पेंशन विनियमों के रूप में कुछ लाभकारी प्रावधानों को सामने लाती है और विशेष नियमों और शर्तों पर, जिन पहलुओं को बाहर रखा गया है, उन्हें निहितार्थ से इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, "त्यागपत्र" देने के बाद, प्रतिवादी को परिणाम भुगतने पड़ते हैं और अब इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

'यू' मोड़ लेने और यह कहने के लिए कि प्रतिवादी जो चाहता था वह "समय से पहले सेवानिवृत्ति" थी न कि "इस्तीफा"।

9. अब जहाँ तक प्रत्यर्थी द्वारा रखी गई निर्भरता है

सेना के पेंशन विनियम, 2008 के विनियम 19 (एच) और 19 (जे) में यह तर्क दिया गया है कि केंद्रीय स्वायत्त निकाय में सेवा की अवधि के साथ-साथ स्नातकोत्तर योग्यता रखने के संबंध में एक अधिकारी को दी गई कमीशन की पूर्व तिथि की अवधि को भी पेंशन योग्य सेवा के उद्देश्य से गिना जाएगा, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, पहला इस आधार पर कि इसे उच्च न्यायालय/एएफटी के समक्ष नहीं उठाया गया था। अन्यथा भी, सेना के पेंशन विनियम, 2008 प्रत्यर्थी के मामले में लागू नहीं होंगे क्योंकि प्रत्यर्थी पेंशन विनियम, 1961 द्वारा शासित होगा, जिसमें सेना के पेंशन विनियम, 2008 के विनियम 19 (एच) और 19 (जे) जैसे कोई समान सामग्री प्रावधान नहीं हैं। उसी में कोई पूर्वव्यापी नहीं है प्रयोज्यता। इस प्रकार, प्रत्यर्थी ने 15.04.2000 पर इस्तीफा दे दिया था और यहां तक कि उनका इस्तीफा भी 31.01.2007 पर स्वीकार कर लिया गया था, सेना के पेंशन विनियम, 2008 के लागू होने से बहुत पहले।

10. अब जहाँ तक डी. एस. नकारा (ऊपर) और के. जे. एस. बुट्टर (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर निर्भरता की बात है।

संबंधित है, वही मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार, लेफ्टिनेंट कर्नल पी. एस. भार्गव (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा और/या यह प्रतिवादी के लिए किसी भी सहायता का नहीं होगा। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, यह पाया गया कि अधिकारी ने अपेक्षित योग्यता सेवा पूरी की जो पेंशन योग्य लाभों के उद्देश्य से थी। हालाँकि, इसे इस आधार पर अस्वीकार करने की कोशिश की गई कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, पेंशन योग्य लाभों के उद्देश्य से न्यूनतम अर्हता सेवा विनियमन 25 (ए) के अनुसार 20 वर्ष है और यदि उसके मामले को "देर से प्रवेश करने वाला" माना जाता है, तो विनियमन 15 के अनुसार 15 वर्ष है।

11. उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या प्रत्यर्थी को "देर से प्रवेश करने वाला" कहा जा सकता है और वह "देर से प्रवेश करने वाले" के रूप में विनियमन 15 के लाभ और पेंशन योग्य लाभों का हकदार है या नहीं? विनियम 15 निम्नानुसार हैः

" विनियमन 15-देर से प्रवेश करने वाले

15. इस अध्याय के विनियमों के प्रयोजनों के लिए, "देर से प्रवेश करने वाला" एक अधिकारी है जो निर्धारित आयु सीमा तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो जाता है।

कम से कम 15 साल की कमीशन सेवा (वास्तविक) के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए जो पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त है लेकिन जिसकी कुल योग्यता सेवा बीस साल (वास्तविक) से कम है।

विनियमन 15 के अनुसार, "देर से प्रवेश करने वाला" एक अधिकारी होता है जो सेवानिवृत्त हो जाता है।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा तक पहुँचने पर

कम से कम 15 साल की कमीशन सेवा (वास्तविक)। चूंकि प्रतिवादी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त नहीं हुआ था, इसलिए प्रतिवादी को "देर से प्रवेश करने वाला" नहीं कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य और उद्देश्य सेवानिवृत्ति पेंशन अर्जित करने के लिए योग्यता सेवा के लिए 5 साल की छूट/अनुग्रह देना प्रतीत होता है। विनियमन 25 (ए) के अनुसार, सेवानिवृत्ति पेंशन अर्जित करने के लिए वास्तव में प्रदान की गई और आवश्यक योग्यता सेवा की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष होगी। हालांकि, यदि कोई अधिकारी योग्यता सेवा की न्यूनतम अवधि यानी 20 वर्ष पूरी करने में सक्षम नहीं है और 20 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर रहा है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु सीमा तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो गया है, लेकिन योग्यता सेवा के 15 वर्ष पूरे कर चुके है, तो उसे "देर से प्रवेश करने वाला" माना जाता है और वह 5 वर्ष की छूट अवधि प्राप्त करके पेंशन लाभ का हकदार है। इसलिए, उस हद तक इसे पेंशन योग्य लाभों का लाभ प्राप्त करने के लिए 5 साल की छूट/अनुग्रह कहा जा सकता है बशर्ते कि मामला विनियमन 15 के अंतर्गत आता है और एक अधिकारी "देर से प्रवेश करने वाला" हो। जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थी को "देर से प्रवेश करने वाला" नहीं कहा जा सकता है और इसलिए वह विनियमन 15 के लाभ का हकदार नहीं है और इसलिए वह पेंशन लाभों का हकदार नहीं है।

12. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश विद्वान सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने टी. ए. सं. <आई. डी. 3 में दिनांकित <आई. डी. 2 को रद्द कर दिया और दिनांकित 31.01.2007 के पत्र के पैरा 2 को इस हद तक दरकिनार कर दिया कि उसने प्रत्यर्थी को अंतिम/पेंशन लाभ से इनकार कर दिया और अपीलकर्ताओं को अंतिम/पेंशनभोगी [2021] 9 एस. सी. आर. के लिए प्रत्यर्थी के दावे को संसाधित करने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पेंशन विनियमों के विनियम 15 के संदर्भ में "देर से प्रवेश करने वाले" के संबंध में अपनी योग्यता सेवा को 15 वर्ष के रूप में लेने वाले लाभों को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और यह माना जाता है कि प्रतिवादी पेंशन विनियमों के विनियम 15 के संदर्भ में "देर से प्रवेश करने वाले" के रूप में अंतिम/पेंशन लाभों का हकदार नहीं है। वर्तमान अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है, हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।